2007 CGHC 1619
प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (एस) क्रमांक 4193 / 2006

याचिकाकर्तागण : पद्मन लाल चौधरी एवं अन्य

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

आदेश हेतु नियत : 14 मार्च, 2007

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ता/-

सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

2007 CGHC 1619
प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकलपीठ :- माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

रिट याचिका (एस) क्रमांक 4193 / 2006

याचिकाकर्तागण : पद्मन लाल चौधरी एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

याचिकाकर्तागणों की ओर से : श्री आर.एस. बघेल, अधिवक्ता उपस्थित
राज्य / प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री सतीश गुप्ता, उप -शासकीय अधिवक्ता उपस्थित

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश
(दिनांक 14.03.2007 को पारित)

1. इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्तागणों ने उत्तरवादीगणों के विरुद्ध *परमादेश* जारी करने की प्रार्थना की है, ताकि उन्हें जिला पंचायत महासमुंद में शिक्षा कर्मी वर्ग-2 के पद पर पदोन्नत किया जाए और अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में वरीयता प्रदान की जाए, क्योंकि याचिकाकर्तागणों के पास स्नातक डिग्री तथा बी.एड. प्रमाणपत्र है। वैकल्पिक रूप से यह निर्देश देने की प्रार्थना की गई है कि उत्तरवादी क्रमांक 1 से 4 याचिकाकर्तागणों को उन अन्य शिक्षा कर्मी वर्ग-3 के ऊपर वरीयता के साथ रखा जाए जिनके पास स्नातक डिग्री एवं बी.एड अथवा बी.टी.आई. का प्रमाण पत्र नहीं है।
2. संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार, याचिकाकर्ता क्रमांक 1 की नियुक्ति दिनांक 7.12.1998 को जनपद पंचायत, पिथौरा द्वारा शिक्षा कर्मी वर्ग-3 के पद पर की गई थी और उन्होंने 8.12.1998 को पदभार ग्रहण किया। याचिकाकर्ता क्रमांक 2 की नियुक्ति भी उसी जनपद पंचायत, पिथौरा द्वारा दिनांक 18.05.1999 को शिक्षा कर्मी वर्ग-3 के पद पर की गई थी तथा उन्होंने 01.07.1999 को पदभार ग्रहण किया। इसी प्रकार, याचिकाकर्ता क्रमांक 3 की नियुक्ति उसी जनपद पंचायत द्वारा दिनांक 30.09.1998 को शिक्षा कर्मी

वर्ग-3 के पद पर की गई थी तथा उन्होंने 09.10.1998 को पदभार ग्रहण किया और उन्हें विमलपुर में पदस्थ किया गया। याचिकाकर्तागणों के अनुसार, वे कला संकाय में स्नातक हैं तथा उनकी नियुक्ति शिक्षा कर्मी वर्ग-

2007 CGHC 1619

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

3 के पद पर होने के पूर्व ही उन्होंने बी.एड की उपाधि प्राप्त कर ली थी। छत्तीसगढ़ शिक्षा कर्मी (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 1997 (संक्षेप में "नियम, 1997") के अनुसूची-4 के अनुसार, शिक्षा कर्मी वर्ग-3 से शिक्षा कर्मी वर्ग-2 के पद पर पदोन्नति के लिए आवश्यक अर्हता स्नातक उपाधि तथा कार्यरत पद पर न्यूनतम 7 वर्ष का अनुभव होना निर्धारित है। नियम, 1997 में दिनांक 31.07.1998 के अधिसूचना क्रमांक 2 के माध्यम से सम्मिलित शिक्षा कर्मी वर्ग-3 के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हताएँ इस प्रकार हैं :–

3 -ए वर्ग -III

क्रमांक	शिक्षाकर्मी वर्ग-2	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	शैक्षणिक योग्यता
(।)	(2)	(3)	(4)	(5)
(अ)	शिक्षाकर्मी तबला	21	33	मान्यता प्राप्त संस्था से तबला का प्रमाणपत्र।
(ब)	शिक्षाकर्मी विज्ञान / शिक्षाकर्मी प्रयोगशाला	21	33	उच्चतर माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (विज्ञान समूह)
(स)	शिक्षाकर्मी उर्दू	21	33	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा (उर्दू विषय के साथ)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्तागणों ने शिक्षा कर्मी वर्ग-2 के पद पर पदोन्नति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था, किंतु याचिकाकर्तागणों को उक्त पदोन्नति प्रदान नहीं की गई। अतः यह याचिका प्रस्तुत की गई है।
4. श्री आर.एस. भगत, याचिकाकर्तागणों की ओर से प्रस्तुत विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि याचिकाकर्तागणों के पास स्नातक डिग्री तथा बी.एड जैसी उच्चतर अर्हताएँ हैं, अतः उन्हें अन्य शिक्षकों की तुलना में वरीयता प्रदान की जानी चाहिए। आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि सभी वे शिक्षा कर्मी जिनके पास स्नातक डिग्री है, उन्हें एक पृथक वर्ग माना जाए तथा अन्य शिक्षा कर्मियों को भिन्न वर्ग में रखा जाए। विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि पदग्रहण की तिथि के आधार पर वरीयता निर्धारण करना, न कि नियुक्ति पूर्व शैक्षणिक अर्हताओं के आधार पर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 का उल्लंघन है। चूंकि याचिकाकर्तागणों को भर्ती के समय अतिरिक्त अंक प्रदान किए गए थे, अतः उन्हें कम अर्हता प्राप्त अन्य शिक्षा कर्मी वर्ग-3 की तुलना में वरिष्ठ माना जाना चाहिए। याचिकाकर्तागणों को यह वैध अपेक्षा है कि उनके द्वारा प्राप्त उच्चतर शैक्षणिक अर्हता के आधार पर उन्हें पदोन्नति में वरीयता प्रदान की जाएगी।
5. इसके विपरीत, श्री सतीश गुप्ता, उप शासकीय अधिवक्ता, जो उत्तरवादीगण/राज्य की ओर से उपस्थित हैं, यह निवेदन किया हैं कि याचिका पक्षकारों के संयोजन के अभाव के आधार पर खारिज की जानी चाहिए,

2007 CGHC 1619

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

क्योंकि याचिकाकर्तागणों की नियुक्ति जनपद पंचायत पिथौरा, जिला महासमुंद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा की गई थी। चूँकि जनपद पंचायत पिथौरा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी हैं, अतः विवाद के समुचित न्यायनिर्णयन हेतु वे याचिका में आवश्यक पक्षकार हैं। गुण दोष के आधार पर, याचिकाकर्तागणों के विद्वान अधिवक्ता यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्तागणों को शिक्षाकर्मी ग्रेड-III के पद पर भर्ती के समय वेटेज (वरीयता) प्रदान की गई थी, परंतु विधि में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि नियुक्ति के पश्चात वरिष्ठता का निर्धारण शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाए, न कि नियुक्ति की तिथि के आधार पर। उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं के तर्क निराधार एवं अव्यवहारिक हैं तथा विधिक दृष्टिकोण से स्थिर रखने योग्य नहीं हैं।

6. यह भी निवेदन किया गया कि शिक्षाकर्मियों की वरिष्ठता जनपद पंचायत स्तर पर संधारित की जाती है तथा शिक्षाकर्मी वर्ग -III से वर्ग -II में पदोन्नति जनपद पंचायत द्वारा की जाती है। संबंधित जनपद पंचायत को पक्षकार नहीं बनाया गया है, और इस कारण यह जानना कठिन हो गया है कि पदोन्नतियाँ किस प्रकार की गईं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. मैंने पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत विद्वान अधिवक्ता के तर्क को सुना है तथा अभिवचनों और उसके साथ संलग्न अभिलेखों का अवलोकन किया है। याचिकाकर्तागणों के सभी आक्षेप खारिज किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता के आक्षेप अटकलों और अनुमान पर आधारित है। विनियम, 1997 के नियम 5, जो चयन एवं भर्ती की प्रक्रिया से संबंधित है, में उन व्यक्तियों को जो कला, विज्ञान या शिक्षा में स्नातक हैं, किसी भी प्रकार की वरिष्ठता प्रदान किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है, सिवाय इसके कि उन्हें भर्ती के समय कुछ प्रतिशत वेटेज (अंक वरीयता) प्रदान की गई थी। मध्यप्रदेश पंचायत शिक्षा कर्मी (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम, 1997 के नियम 5(9) में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है:-

"(एक) यह समिति साक्षात्कार के लिये बुलाए गये अभ्यर्थियों का आंकलन करेगी तथा निम्नलिखित रीति में अंक देगी –

(क) विहित अर्हता परीक्षा के लिये वरीयता (वेटेज) देते समय अनुसूची – दो में विनिर्दिष्ट की गयी अर्हता परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों के लिये 70 प्रतिशत अंक व्यवसायिक पाठयक्रमों के अभ्यर्थियों को वरीयता (वेटेज), सैद्धांतिक, लिखित परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों के आधार पर ही दी जाएगी ।

(ख) संबंधित जनपद पंचायत या जिला पंचायत के स्कूलों में शिक्षण के अनुभव के लिये 10 प्रतिशत अंक (एक वर्ष तथा तीन वर्ष और उससे अधिक के अनुभव के लिये क्रमश: 3 प्रतिशत , 6 प्रतिशत और 10 प्रतिशत अंक, जिसमें न्यूनतम आठ मास के शैक्षणिक सत्र की गणना एक वर्ष के अनुभव के रूप में की जाएगी और उसमें शिक्षा गारंटी योजना केन्द्रों, डी.पी.ई.पी. वैकल्पिक स्कूलों और अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में शिक्षण का अनुभव भी सम्मिलित है)। राज्य सरकार द्वारा शत प्रतिशत

2007 CGHC 1619

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

सहायता तथा मान्यता प्राप्त ग्रामीण स्कूलों में शिक्षण के अनुभव के लिये इसी प्रकार का लाभ दिया जाएगा) ग्रामीण स्कूलों में अनुभव के प्रमाण पत्र की विधिमान्यता तथा मूल्यांकन पर सामान्य प्रशासन समिति का विनिश्चय अंतिम होगा ।

(ग) मौखिक साक्षात्कार के लिये (7) प्रतिशत अंक जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित होगें :-

(1) -स्थानीय भाषा में बातचीत करने की दक्षता ।

(2) -स्थानीय परिवेश की जानकारी ।

(3) – सामान्य ज्ञान

(4) -प्रशिक्षण तथा शिक्षण के प्रति अभिरूची।

(5) -कोई अन्य प्रशिक्षण जिसे चयन समिति उचित समझे।

(घ) बी.एड./बी.टी.आई/बी.एड , डी.एड प्रमाण पत्र के लिये 8 प्रतिशत अंक, स्काउट और गाईडस /एन.सी.सी , प्रमाण पत्रों के लिये 2.5 प्रतिशत अंक और खेल के लिये (अंतर जिला या उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के लिये) 2.5 प्रतिशत अंक ।

(ङ) अंतिम चयन में, अन्य बांतें समान होने की दशा में प्राथमिकता उन अभ्यर्थियों को दी जाएगी जिन्हें जनपद पंचायत या जिला पंचायत के विद्यालयों में शिक्षण का अनुभव है।

(दो) प्रत्येक प्रवर्ग के लिये चयन सूची , योग्यता के क्रम में उपरोक्त आंकलन के आधार पर तैयार की जाएगी और उसके अंतर्गत 5 नाम या 20 प्रतिशत नाम इनमें से जो भी अधिक हो, प्रतीक्षा सूची में होगें , जो कि नौ मास के लिये विधिमान्य होगी । नियुक्ति के लिये रिक्त पदों की संख्या के बराबर एक एकीकृत चयनसूची इस क्रम में तैयार की जाएगी कि अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का नाम सूची में सबसे ऊपर होगा अन्य अवरोही क्रम में सर्वप्रथम सामान्य प्रवर्ग (अनारक्षित प्रवर्ग) में रिक्तियों की संख्या तक होगें) यदि सामान्य प्रवर्गों की सूची में योग्यता के आधार पर आरक्षित वर्ग का कोई अभ्यर्थी है तो उसकी नियुक्ति को आरक्षित प्रवर्ग के पद के विरुद्ध नहीं माना जाएगा। इसके पश्चात आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के नाम ऐसे प्रवर्गों में से प्रत्येक वर्ग की कुल रिक्तियों की संख्या के समतुल्य संख्या तक अवरोही क्रम में लिखे जाएंगें। एकीकृत चयन सूची के अतिरिक्त अभ्यर्थियों के 5 नाम का 20 प्रतिशत नाम, इसमें से जो भी अधिक हो, उक्त सिद्धांतो के आधार पर प्रतीक्षा सूची में रखे जाएगें।

8. शिक्षा कर्मी वर्ग-3 के पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा अथवा उसके समकक्ष होना आवश्यक है। शिक्षा कर्मी वर्ग -3 से वर्ग -2 में पदोन्नति हेतु वर्ष 1997 के नियमों के अनुसूची -4 में यह प्रावधान है कि निर्धारित योग्यता स्नातक उपाधि तथा वर्तमान पद पर न्यूनतम सात वर्षों का अनुभव होना चाहिए। यह ज्ञात नहीं है कि पदोन्नति हेतु शिक्षा कर्मी वर्ग -2 के पद

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2007 CGHC 1619

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

पर विचार के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाने के समय याचिकाकर्तागणों ने सात वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली थी या नहीं।

9. जनपद पंचायत पिथौरा एक आवश्यक पक्षकार है, तथा यह स्पष्ट करने की स्थिति में है कि भर्ती किस प्रकार की गई, वरिष्ठता की स्थिति क्या है, तथा याचिकाकर्तागणों की वरिष्ठता में क्या स्थिति है, क्योंकि वरिष्ठता संबंधी अभिलेख जनपद पंचायत द्वारा ही संधारित किए जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्तागणों ने जानबूझकर इस याचिका में आवश्यक एवं सुसंगत पक्षकार, अर्थात् जनपद पंचायत पिथौरा तथा उन अन्य शिक्षकों को, जिन्हें पदोन्नति दी गई है, उत्तरवादी के रूप में संयोजित नहीं किया है। पक्षकार के असंयोजन के प्रश्न पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *अरुण तिवारी एवं अन्य बनाम ज़िला मानसेवी शिक्षक संघ एवं अन्य* के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया है कि :-

" 13. न्यायाधिकरण के समक्ष मूल रूप से आवेदन करने वाले सभी याचिकाकर्तागणों, जिन्होंने ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के अंतर्गत सहायक शिक्षकों की भर्ती के प्रावधानों को चुनौती दी थी, के पास उक्त योजना के अंतर्गत सहायक शिक्षक के रूप में चयन हेतु आवश्यक अर्हताएं नहीं थीं। इन व्यक्तियों के नाम संबंधित जिला रोजगार कार्यालयों द्वारा प्रेषित सूचियों में सम्मिलित नहीं थे। आश्चर्य की बात है कि इन

सभी व्यक्तियों और/अथवा समूहों द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष दायर याचिकाओं में चयनित/नियुक्त अभ्यर्थियों — जो उनके आवेदन के परिणाम से सीधे प्रभावित होते — को उत्तरवादी पक्षकार नहीं बनाया गया। न्यायाधिकरण ने उन्हें पक्षकार

बनाए बिना अथवा उन्हें कोई नोटिस जारी किए बिना ही आक्षेपित आदेश पारित कर दिया। इस लोप के कारण संपूर्ण प्रक्रिया गंभीर रूप से विकृत हो गई है।''

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. उच्चतम न्यायालय ने प्रबोध वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1984 (4) एस.सी.सी 251[2] के प्रकरण में — जिसमें उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज (रिज़र्व पूल टीचर्स) अध्यादेश 1978 की संवैधानिक वैधता का प्रश्न था — न्यायालय ने पैरा 50 में अभिनिर्धारित किया है कि :-

" 50. हमारे निष्कर्षों का सारांश प्रस्तुत है:-

(1) किसी उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दायर रिट याचिका का निस्तारण ऐसे व्यक्ति को उत्तरवादी बनाए बिना नहीं करना चाहिए, जो उसके निर्णय से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होगा; और यदि ऐसे व्यक्तियों की संख्या इतनी अधिक हो कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से उत्तरवादी बनाना व्यावहारिक न हो, तो उनमें से कुछ को प्रतिनिधिक स्वरूप में उत्तरवादी बनाना आवश्यक है। यदि याचिकाकर्ता ऐसा करने से

2007 CGHC 1619

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

इनकार करते हैं, तो उच्च न्यायालय को आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन के आधार पर याचिका निरस्त कर देनी चाहिए।"

11. वर्तमान मामले में, याचिकाकर्तागणों ने न तो उन प्रभावित व्यक्तियों को पक्षकार बनाया है जिन्हें पदोन्नति दी गई है, और न ही उस जनपद पंचायत को, जिसने शिक्षा कर्मी वर्ग -3 की भर्ती की है तथा उनकी वरिष्ठता सूची तैयार की है। अतः आवश्यक पक्षकार की अनुपस्थिति में यह याचिका निरस्त किए जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त विश्लेषण एवं सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात यह याचिका सारहीन है।

12. तदानुसार याचिका निरस्त की जाती है। पक्षकारों के वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है।

सही /-
सतीश के.अग्निहोत्री
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

.....
1.(1998) 2 एस.सी.सी 332
2.(1984) 4 एस.सी.सी 251

अस्वीकरण – हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित उपयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सके एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग में नहीं किया जाएगा। **समस्त कार्यालयीन एवं व यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का हिन्दी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता की जावेगी ।**

Translated by : अजय कुमार अग्निहोत्री अधिवक्ता